

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

जीता डेगी

बनाम

रामलाल बोर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

इज्जाम

मु. न - 19/2018

30.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 536/भू.अभि./22 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 2531 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

